## हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की प्रशासकीय परिषद की दिनांक 06/02/2010 को सम्पन्न हुई 70वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नोक्त सदस्य उपस्थित हुये :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **माननीय श्री सदल प्रसाद**<br>अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद,<br>एच0बी0टी0आई0, कानपुर<br>एवं<br>राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)<br>व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग<br>उ0प्र0 शासन सचिवालय,<br>लखनऊ। | अध्यक्ष |
| 2. | **सुश्री वृन्दा सरूप**<br>उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद,<br>एच0बी0टी0आई0, कानपुर<br>एवं<br>प्रमुख सचिव,<br>व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग<br>उ0प्र0 शासन सचिवालय,<br>लखनऊ। | उपाध्यक्ष |
| 3. | **श्रीमती मिनिस्ती एस0**<br>विशेष सचिव<br>व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग,<br>उ0प्र0 शासन, लखनऊ | विशेष आमंत्री |
| 4. | **प्रो0 ए0 विश्वास**<br>प्रतिनिधि–निदेशक<br>आई0आई0टी0, कानपुर। | सदस्य |
| 5. | **श्रीमती सुषमा गौड़**<br>निदेशक,<br>प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0<br>कानपुर। | सदस्य |
| 6. | **प्रो0 कृपाशंकर**<br>माननीय कुलपति<br>उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय<br>सीतापुर रोड लखनऊ। | सदस्य |
| 7. | **प्रो0 एस0के0अवस्थी**<br>आचार्य,<br>केमिकल इंजी0 विभाग<br>एच0बी0टी0आई0, कानपुर। | सदस्य |
| 8. | **डा0 हरविन्दर सिंह**<br>निदेशक<br>बी0आई0ई0टी0<br>झाँसी। | सदस्य |
| 9. | **प्रो0 आनन्द स्वरूप**<br>प्राचार्य<br>जी0एस0वी0 मेडिकल कालेज<br>कानपुर। | सदस्य |

10. **डा0 जे0पी0 सैनी** — सदस्य
प्राचार्य,
मदन मोहन मालवीय इंजी0 कालेज
गोरखपुर।

11. **प्रो0 आर0के0 खितौलिया** — सदस्य–सचिव
निदेशक,
एच0बी0टी0आई0,
कानपुर।

**बैठक में निम्नोक्त सदस्य उपस्थित नहीं हो सके :–**

1. **प्रमुख सचिव,** — सदस्य
वित्त विभाग,
उ0प्र0 शासन सचिवालय,
लखनऊ।

2. **प्रो0 एस0सी0 सक्सेना** — सदस्य
निदेशक,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
रूड़की (उत्तरांचल)

3. **प्रो0 योगेश सिंह** — सदस्य
स्कूल आफ इंजी0 एण्ड इन्फार्मेशन टेक0
गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय
दिल्ली।

4. **प्रो0 एस0एन0 गजभिये** — सदस्य
माननीय कुलपति
डा0 हरिशंकर गौड़ विश्वविद्यालय,
सागर–47003
मध्यप्रदेश

5. **डा0 डी0 गोलदार** — सदस्य
बी0–401, जागरण अपार्टमेन्ट
प्लाट नं0 17, सेक्टर–22
द्वारिकापुरी,
नई दिल्ली।

6. **डा0 एस0एन0 सिंह** — सदस्य
इलेक्ट्रिकल इंजी0 विभाग
आई0आई0टी0, कानपुर।

7. **श्री इरशाद मिर्जा** — सदस्य
मिर्जा इण्टरनेशनल लि0
14/6 सिविल लाइन
कानपुर।

**70.01 हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की प्रशासकीय परिषद की दिनांक 12/01/09 को सम्पन्न हुई 69वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।**

परिषद् द्वारा संस्थान की प्रशासकीय परिषद् की दिनांक 12/01/2009 को सम्पन्न 69वीं बैठक के कार्यवृत्त में मद सं0 69.25 के अंतर्गत लिए गये निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि निदेशक द्वारा विभागाध्यक्षों से प्राप्त सूची में कोई संशोधन नहीं किया जायेगा एवं अपने स्तर से और विषय विशेषज्ञों का नाम यदि आवश्यक हो तो बढ़ाते हुए ~~सीधे~~ अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद् का अनमोदन प्राप्त करेंगे।

मद सं0 69.02 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गयी स्वायत्तता के कम में प्रशासकीय परिषद् के संगठनात्मक ढॉचे में आंशिक परिवर्तन करने हेतु सोसाइटी की बैठक आहूत करने हेतु अध्यक्ष महोदय से व्यक्तिगत प्रयास कर तिथि निर्धारित की जाय एवं जब तक संशोधन की कार्यवाही सम्पन्न होती है तब तक प्रशासकीय परिषद् आगामी बैठक में उन सभी सदस्यगणों को आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। परिषद् ने उपरोक्त निर्देशों के साथ संस्थान की दिनांक 12/01/09 को सम्पन्न हुयी 69वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण किया।

**70.02 हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की प्रशासकीय परिषद की दिनांक 12/01/09 सम्पन्न हुई 69वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही का विवरण।**

परिषद् द्वारा निर्णयों पर की गयी कार्यवाही को संज्ञान में लिया गया तथा मद सं0 69.11 एवं 69.22 पर कमशः निम्न निर्देश दिये गये।

> परिषद् द्वारा उपरोक्त पर विचारोपरान्त निर्देशित किया गया कि संस्थान पूर्ण स्वायत्तशासी संस्था है अतः इसे संस्थान की आगामी वित्त समिति की बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया गया तत्पश्चात् आगामी प्रशासकीय परिषद् की बैठक में निर्णयार्थ रखा जाय।
>
> संस्थान शिक्षकों को राष्ट्रीय सेमिनार आदि में भाग लेने का वर्ष में एक बार अवसर दिये जाने पर अनुमति प्रदान की एवं साथ ही यह भी निर्णय दिया गया कि विशेष परिस्थितियों में यदि किसी शिक्षक विशेष का किसी सेमिनार में वर्ष में ~~द्वितीय~~ बार जाना परमावश्यक हो तो उसे तभी अनुमति प्रदान की जायेगी जब सेमिनार में उनका स्वयं का शोध पत्र प्रस्तुत किया जाना हो।

**70.03 संस्थान को स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष व्यय, शैक्षिक सत्र एवं परिणामों की घोषणा तथा उत्तीर्ण छात्रों के सेवायोजन की स्थिति का विवरण।**

परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत सेवायोजन की स्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा छात्रों के परीक्षाफल एवं उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत का परिषद् द्वारा अवलोकन किया गया और इस पर संतोष इस आशय से व्यक्त किया गया कि आगामी बैठक में विगत वर्ष का भी परीक्षाफल एवं उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत का विवरण प्रस्तुत किया जाय।

**70.04 हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की वित्त समिति दिनांक 02/07/09 को सम्पन्न 55वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।**

परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत संस्थान की वित्त समिति की दिनांक 02/07/2009 को सम्पन्न वित्त समिति की 55वीं बैठक के कार्यवृत्त पर परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

**70.05 हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की वित्त समिति दिनांक 19/01/2010 को सम्पन्न 56वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।**

परिषद ने सम्मुख प्रस्तुत वित्त समिति की दिनांक 19/01/10 को सम्पन्न 55वीं बैठक के कार्यवृत्त पर निम्न आंशिक संशोधन के साथ अपना अनुमोदन प्रदान किया :—

मद सं0 55.18 **के अंतर्गत "प्रथम चरण में चतुर्थ श्रेणी के गैर तकनीकी के रिक्त पदों को समाप्त कर दिया जाय।"**

*संशोधन* **"प्रथम चरण में चतुर्थ श्रेणी के पदों को तकनीकी आधार पर संस्थान स्तर पर सर्वप्रथम सूचीबद्ध किया जाय।"**

**70.06 संस्थान की केन्द्रीय क्रय समिति में संस्थान नियमावली के नियम—30(बी) के अन्तर्गत चक्रानुक्रम में शिक्षकों को समिति का सदस्य नामित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद् ने उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में श्री एस0के0 मिश्रा, सहा0 आचार्य विद्युत अभियंत्रण विभाग को संस्थान की केन्द्रिय कय समिति में एक वर्ष की अवधि हेतु सदस्य के रुप में नामित करने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

**70.07 संस्थान के विभिन्न विभागों में परीक्षण हेतु प्राप्त नमूनों के विश्लेषण शुल्क की दरों को संशोधित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद् ने उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

**70.08 संस्थान में वाहन चालक पद पर कार्यरत श्री दयाराम को दिनांक 31/12/2009 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किये जाने के प्रस्ताव पर कार्येत्तर स्वीकृति।**

परिषद् ने उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

**70.09 संस्थान के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को विभागीय सीधी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने हेतु अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता अनुमन्य करने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में परिषद् ने विचार—विमर्श कर यह निर्देश दिया कि उक्त पर निर्णय हेतु शासन के कार्मिक विभाग से राय लेने हेतु संस्थान स्तर से साक्ष्य सहित शासन को प्रेषित किया जाय।

70.10 **संस्थान में संचालित विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व निर्धारित शिक्षण शुल्क दरों में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद् ने उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्देश दिये गये कि प्रदेश के सभी राजकीय सहायता प्राप्त अभियन्त्रण संस्थानों का शिक्षण शुल्क समान किये जाने पर अगला सेमेस्टर प्रारम्भ होने से पूर्व शासन स्तर से कार्यवाही की जायेगी।

70.11 **शासन के निर्देशानुसार संस्थान में अधिष्ठाताओं का चयन आई0आई0टी0 कानपुर की भॉति किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रुप से आई0आई0टी0, कानपुर से सम्पर्क कर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

70.12 **हनबाट नेशनल यूनिवर्सिटी, कोरिया के साथ संस्थान द्वारा शैक्षिक एवं अनुसंधान के क्षेत्र में व्यापक सहयोग के लिये सहमति पत्र हस्ताक्षरित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद् द्वारा उक्त के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विश्वविद्यालय से आई0पी0आर0 (पेटेन्ट) सम्बन्धी कार्यवाही अनुबन्ध पत्र में पूर्ण कर ली जाय।

70.13 **संस्थान की प्रशासकीय परिषद द्वारा शिक्षको, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक कलेन्डर वर्ष में अधिकतम तीन आवेदन पत्र अग्रसारण किये जाने की सीमा निर्धारित किये गये पूर्व अनुमोदन में अनुसूचित जाति/जनजाति शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अन्यत्र सेवायोजन हेतु अधिकतम अग्रसारण की सीमा को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद् द्वारा उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में लिए गये परिषद् के निर्णय को अतिक्रमित करते हुए सभी वर्गों के लिए एक वर्ष में आवेदन पत्रों के अग्रसारण की सीमा को समाप्त करने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

70.14 **संस्थान के छात्रावासों में कार्यरत छात्रावास अभिरक्षकों का मानदेय बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद् ने उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

70.15 **संस्थान छात्रावासों के लिपिकीय कार्य हेतु रू0 5000/= संकलित वेतन पर 04 लिपिकों को कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा पर रखे जाने पर विचार।**

परिषद् ने उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

70.16 **निदेशक को संस्थान हित में प्रशासनिक दृष्टिकोण सम्बन्धी आवश्यकता को देखते हुए प्रभारियों एवं अन्य दायित्वों पर अवैतनिक रूप में प्रभार दिये जाने का अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद् ने प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्देश दिये कि संस्थान के बाईलाज में विद्यमान नियम के अनुसार यदि किसी शिक्षक/अधिकारी द्वारा निदेशक स्तर से सौंपे गये अतिरिक्त दायित्व/प्रभार का निर्वहन करने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित शिक्षक/अधिकारी के सम्बन्ध में निदेशक द्वारा व्यक्तिगत रुप से सम्पर्क कर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महोदय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय।

70.17 **श्री बृजेश सिंह कटियार, सहायक आचार्य द्वारा नियुक्ति के समय भ्रामक सूचना दिये जाने के प्रकरण पर निदेशक द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुविचारित आख्या के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद् ने उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव को पुनः निक्षेपित करते हुए यह निर्देश दिये कि भविष्य में उक्त प्रकरण प्रशासकीय परिषद् में न रखा जाय।

70.18 **परामर्श के माध्यम से संस्थान की आंतरिक आय बढाये जाने वाले नियमों में कुछ शिथिलता प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद् द्वारा पूर्व में अनुमोदित नियमों को यथावत रखने के साथ–साथ यह निदेश दिये कि यदि कोई अधिक धनराशि के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्राप्त होते हैं तो उस प्रोजेक्ट पर परामर्श कार्य करने से पूर्व विशेष परिस्थितियों में शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

70.19 **शिक्षणेत्तर कर्मचारी कल्याण संघ (मान्यता प्राप्त) एच0बी0टी0आई0 के सदस्यों का वार्षिक सदस्यता शुल्क बढाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद् ने उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

70.20 **संस्थान के दीक्षान्त समारोह क आयोजन की अनुमति के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद् ने उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

70.21 **संस्थान के शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त शिक्षा सत्र के अन्त तक (30 जून) सेवा विस्तारण/पुर्ननियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद् ने उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्देशित किया कि शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार सम्बन्धित शिक्षक उक्त लाभ हेतु अपना आवेदन सेवानिवृत्ति के तीन माह पूर्व संस्थान को आवेदन प्रेषित करे एव संस्थान उक्त आवेदन को तत्काल शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करे।

70.22 **संस्थान के अधिवक्ता श्री एस0एम0 दयाल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सम्बन्ध में सुविचारित आख्या।**

परिषद् ने उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्थान वादों हेतु नये उच्च स्तरीय अधिवक्ता को उनके शुल्क के अनुसार आबद्ध करने हेतु निदेशक, कुलसचिव एवं प्रो0 जे0पी0 सैनी, प्राचार्य, एम0एम0एम0ई0सी0, गोरखपुर की एक समिति गठित करते हुए समिति की आख्यानुसार कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

70.23 **संस्थान में स्थित सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बेहतर सुविधा प्राप्त करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद् ने उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

70.24 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य मद पर विचार।

**70.24.01 संस्थान के पश्चिमी प्रांगण में स्थित डब्लू0सी0एच0–III छात्रावास के समीप स्थित संस्थान बाउन्ड्रीवाल के अन्दर विवादित भूमि आराजी सं0 402 के सम्बन्ध में सविता हाउसिंग सोसाईटी व एच0बी0टी0आई0 संस्थान के मध्य चल रहे विवाद के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति पर विचार।**

परिषद् ने उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेश दिये कि संस्थान स्थानीय प्रशासन द्वारा उक्त भूमि विवाद पर कृत कार्यवाही की प्रगति के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही को समय–समय पर संज्ञान में लेते हुए शासन को अवगत करायें तथा उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह कानपुर जिला प्रशासन को कार्यवाही करने हेतु उनके स्तर से पत्र प्रेषित किया जाय।

**70.24.02 संस्थान के छात्र किया कलाप परिषद् में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्व0 श्री सभाजीत तिवारी की पत्नी एवं परिवार के भरण–पोषण हेतु कार्य पर रखने पर विचार।**

परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त प्रकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर अनुकम्पा के आधार पर ~~रोजगार का अवसर~~ प्रदान ~~किया जाये।~~

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुयी।

| | | |
|---|---|---|
| (आर0के0 खितौलिया) | (वृन्दा सरूप) | (संदल प्रसाद) |
| सदस्य–सचिव | उपाध्यक्ष | अध्यक्ष |